29

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 215-II /09 जिला मण्डला

1. यशवन्त सिंह नामदेव पुत्र स्व. श्री गणेश नामदेव,
2. तीरथ नामदेव पुत्र स्व. श्री गणेश नामदेव, निवासी – ग्राम खैरी, तहसील निवास जिला मण्डला (म0प्र.) –– आवेदकगण

विरूद्ध

आर.पी. सिन्हा पुत्र स्व. श्री राजेन्द्रसिंह ब्यौहार, निवास सदर कटंगा, जबलपुर द्वारा तथाकथित मुख्त्यार लक्ष्मीप्रसाद नामदेव पुत्र स्व. श्री प्रेमलाल नामदेव, निवासी ग्राम खैरी, तहसील निवास जिला मण्डला (म0प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 25/अ–6–अ/04–05 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2009 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

यह पुनरीक्षण आवेदकगण की ओर से निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यह कि, नायब तहसीलदार नारायणगंज द्वारा पारित आदेश 09.11.2002 से क्षुब्ध होकर अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उन्होने अपने आदेश दिनांक 23.12.2002 के द्वारा प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रत्यावर्तित करते हुए निर्देश दिये गये कि उभयपक्षों को सुनकर युक्तियुक्त अवसर देते हुए

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1215/दो/2009 जिला–मण्डला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-12-2016	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अ–6 –अ/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह नायब तहसीलदार नारायणगंज के आदेश दिनांक 09.11.2002 के विरूद्व अनावदेक द्वारा प्रथम अपील पेश की गयी जो आदेश दिनांक 23.12.2002 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 09.11.2002 निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुये विधि सम्बत् आदेश करने के लिये निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। तत्पश्चात् अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक नारायण गंज द्वारा संशोधित प्रकरण क्रमांक 5 में पारित आदेश दिनांक 24.07.1998 से व्यथित होकर पुनः एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पेश की गयी अपील प्रश्नाधीन आदेश से इस आधार पर खारिज कर दी कि आदेश दिनांक 24.07.1998 की प्रमाणित सत्य प्रति एवं मुख्त्यारआम की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस	

आदेश के विरूद्व अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 17.07.2009 से निरस्त की गयी इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया था कि आलोच्य भूमि का नामान्तरण व्यवहार बाद् क्रमांक 17ए/87 में पारित जयपत्र दिनांक 24.10.1997 की अनुसार राजीनामा पर आधारित है ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव क्रमांक 24.07.1998 के अनुसार वर्तमान आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने के आदेश दिये है उक्त आदेश के विरूद्व पटवारी ने रिकार्ड दुरूस्त किया था जिसकी कोई अपील न होने से आज भी यथावत् है क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्व पंचायत अधिनियम की धारा 91 के तहत् कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अनावेदक द्वारा की गयी अपील में आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी नहीं लगायी गयी है जो कि धारा 48 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवश्यक है। उक्त प्रतिलिपी के अभाव में यदि न्यायालय ने प्रतिलिपी से मुक्ति न दे दी है तब प्रथम दृष्टि में अपील निरस्ती योग्य है। राजस्व निरीक्षक के तथा कथित आदेश 24.07.1998 के विरूद्व $4^{1/2}$ वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत की गयी है। जो इसी आधार पर चलने योग्य नहीं थी। लक्ष्मीप्रसाद व्यवहार न्यायालय में पक्षकार नहीं थे और उन्हे वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है इसके अतिरिक्त मुख्त्यारनामा का जहॉ तक प्रश्न है तो वह दस्तावेज अन्य भाई आर.पी.सिन्हा कि सहमति के अभाव में शून्यवत् है बाईयों द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है और

न उन्होने पंचायत के आदेश को कही कोई चुनौती दी है ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण स्वीकार की अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक को सूचना पंजीकृत डांक से दी गयी है किन्तु उनकी ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्राप्त अभिलेख एवं दस्तावेजो के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

5— विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का विधिवत् अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आलोच्य भूमि का नामान्तरण व्यवहार वाद् क्रमांक 17ए/87 में पारित जयपत्र दिनांक 24.10.1997 के अनुसार राजीनामा पर आधारित है ग्राम पंचायत में अपने प्रस्ताव दिनांक 27.07.1998 के अनुसार वर्तमान आवेदकगण के पिता का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व जिसके आधार पर पटवारी ने रिकार्ड दुरूस्त किया था और कोई अपील न होने से आज भी यथावत् है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नही की गयी है। जो प्रथम अपील अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक के पारित आदेश दिनांक 24.07.1998 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है उसमें आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी नहीं लगायी गयी है जबकि धारा 48 भू—राजस्व के अन्तर्गत प्रतिलिपी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अपील लगभग साढे चार वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गयी जो स्पष्टतः अवधि बाह्य है जिसके साथ धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी

स्थिति में अपील चलने योग्य ही नहीं थी लक्ष्मीप्रसाद व्यवहार न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण उन्हे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। उपरोक्त स्थितियो पर विधिवत् विचार किये बिना जो आदेश अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी निवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2004 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य